

पुलिस अधीक्षक यातायात का कार्यालय, राँची।

—: आवश्यक सूचना :—

प्राप्त सूचनानुसार इस वर्ष ईद उल फितर (ईद)/सरहुल का त्योहार दिनांक—**21.03.2026** को मनाया जायेगा। ईद पर्व के अवसर पर विभिन्न ईदगाहों/मस्जिदों एवं अखाड़ा के पास भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर हर्षोल्लास मनायेंगे तथा सरहुल पर्व के अवसर पर काफी संख्या में स्त्री-पुरुष श्रद्धालु सरना स्थल पर एकत्रित होकर हर्षोल्लास के साथ पूजा-पाठ करते हैं। पूजा पाठ समाप्ति पश्चात् सरहुल शोभा यात्रा के रूप में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जुलूस निकाला जाता है।

■ ईद पर्व मार्ग परिवर्तन :—

- 1) हरमू बाईपास रोड प्रातः 06:00 बजे से नमाज समाप्ति तक, किशोरगंज चौक से रातू रोड चौराहा के बीच दोनों तरफ से बन्द रहेगा। छोटे वाहन को किशोरगंज चौक पर रोक कर राँची लेक रोड होते हुए अपर बाजार तरफ भेजा जायेगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ से आने वाली छोटी गाड़ियाँ उक्त पथ से ही जा सकेंगी। उक्त अवधि में सभी प्रकार के व्यवसायिक छोटे/बड़े वाहन उस मार्ग से नहीं जा सकेंगे।
- 2) अम्बेदकर चौक से राजेन्द्र चौक के बीच का मार्ग बन्द रहेगा। वाहन युवराज होटल की तरफ से राजेन्द्र चौक के पश्चिम भाग से जा सकेंगे। नमाज के बाद भीड़ के समय ऑभरब्रीज एवं युवराज होटल के बीच थाना प्रभारी अपने विवेक से यातायात रेगुलेट करेंगे।
- 3) मेन रोड में रतन पी0पी0 से गुप्ता भण्डार के बीच यातायात बन्द रहेगा। अलबर्ट एक्का चौक की तरफ से डोरण्डा की ओर जाने वाली छोटी गाड़ियाँ सर्जना चौक से मुड़कर डंगराटोली, कौटाटोली, बहूबाजार एवं मुण्डा चौक होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेंगे।
- 4) डोरण्डा की ओर से आने वाले वाहनों को मुख्य रूप से सुजाता चौक से क्लब रोड होते हुए मुण्डा चौक की ओर अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेंगे।
- 5) सुजाता चौक से डोरण्डा की ओर जाने वाले वाहन बिग बजार, कडरू पुल होते हुये अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकेंगे।
- 6) प्लाजा चौक से होते हुए लालपुर चौक तक गाड़ियों का परिचालन नहीं होगा।
- 7) पुस्तक पथ अपर बाजार में शहीद चौक से गाँधी चौक तक गाड़ियों का परिचालन बन्द रहेगा।
- 8) हिल व्यू से बरियातु मस्जिद तक बायें मार्ग पर आवागमन बंद रहेगा।

उक्त स्थानों को स्लाइडिंग बैरियर से अस्थायी तौर पर बन्द किया जायेगा जो नमाज समाप्ति के पश्चात् हटा लिया जाएगा।

● पार्किंग व्यवस्था :—

- 1) महात्मा गाँधी मार्ग पर :— सैनिक मार्केट, काली मंदिर चौक टैक्सी स्टैण्ड तथा फिरायालाल चौक पर।
- 2) हरमू बाईपास पर :— हरमू ईदगाह के लिये पार्किंग गोशाला के समीप।
- 3) अन्य स्थानों पर स्वविवेक से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, खाली स्थान देखकर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

■ सरहुल पर्व मार्ग परिवर्तन :-

- दिनांक-21.03.2026 के अपराहन में सरहुल शोभा यात्रा राँची के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरता है, जो निम्नवत है :-
 - कांके रोड, रातु रोड, बोड़ेया रोड होते हुए रेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड सुजाता, मुण्डा चौक होते हुए सिरमटोली सरना स्थल तक जाता है।
 - नामकुम, खूँटी रोड, बिरसा चौक, डोरण्डा की ओर से आने वाले सरहुल शोभा यात्रा ओभरब्रीज, सुजाता चौक, मुण्डा चौक होकर सिरमटोली सरना स्थल तक जाता है।
 - अरगोड़ा, हरमू की तरफ से आने वाले सरहुल शोभा यात्रा कडरू, बिग बाजार, सुजाता चौक, मुण्डा चौक होकर सिरमटोली सरना स्थल तक जाता है।

(क) इस अवसर पर राँची शहरी क्षेत्र में दिनांक-21.03.2026 को पूर्वाहन 06:00 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। सभी भारी वाहन रिंग रोड होकर परिचालन करेंगे।

(ख) निजी एवं यात्री वाहनों का परिचालन विभिन्न मार्गों में अपराहन 12:00 बजे से जुलूस समाप्ति तक निम्न प्रकार होगा :-

1. एस0एस0पी0 आवास चौक से कचहरी चौक, शहीद चौक जाने वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
2. सर्कुलर रोड से आने वाले वाहन जेल चौक तक ही पहुँच सकेंगे एवं उसी जगह से अन्य मार्गों पर संचालित हो सकेंगे।
3. जाकिर हुसैन पार्क से कमिश्नर चौक, रेडियम चौक आने वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
4. पुराना नगर निगम कार्यालय वाले मार्ग से कमिश्नर चौक के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
5. अपर बाजार से शहीद चौक के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
6. चडरी तालाब से अल्बर्ट एक्का चौक के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
7. थडपखना वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
8. पुरुलिया रोड से सर्जना चौक के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
9. विष्णु सिनेमा मार्ग से मेन रोड के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
10. पश्चिमी अपर बाजार से टैक्सी स्टैण्ड (मेन रोड) के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
11. चर्च रोड से मेन रोड के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
12. उल हाउस के पास मेन रोड के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
13. कर्बला से रतन पी0पी0 के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
14. पी0पी0 कम्पाउण्ड से सुजाता चौक के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
15. राजेन्द्र चौक से ओभरब्रीज, सुजाता चौक की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन बन्द रहेगा।

16. पटेल चौक से मुण्डा चौक की ओर परिचालन बन्द रहेगा।
17. मेकॉन चौक से मुंडा चौक फ्लाई ओभर पर परिचालन बंद रहेगा।
18. बहुबाजार से मुण्डा चौक, सिरमटोली सरना स्थल तक सामान्य वाहनों का परिचालन बन्द रहेगा।
19. जमशेदपुर रोड नामकुम क्षेत्र से चुटिया केतारी बगान होकर मुण्डा चौक या बहुबाजार चौक आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
20. कांटाटोली से बहुबाजार की ओर जाने वाली सामान्य वाहनों का परिचालन बहुबाजार तक होगा और वहाँ से चुटिया थाना मार्ग से परिचालित होंगे।
21. पिस्का मोड़ से रातु रोड न्यू मार्केट चौक की तरफ सामान्य परिचालन वर्जित रहेगा।

राँची शहर के अन्य मार्गों में सरहुल शोभा यात्रा के आधार पर यातायात को आवश्यकतानुसार डायभर्ट किया जाएगा।



पुलिस अधीक्षक यातायात,
राँची।

ज्ञापांक 519...../यातायात,

पुलिस अधीक्षक यातायात का कार्यालय,
राँची, दिनांक :- 19-03-2026

प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची को कृपया सादर सूचनार्थ।
2. वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला, सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि दिनांक-20.03.2026 एवं 21.03.2026 को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आदेश निर्गत करने की कृपा की जाय।
5. पुलिस उपाधीक्षक-प्रथम/द्वितीय, यातायात, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
6. परिचारी प्रवर-यातायात, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
7. सभी पु0नि0-सह-यातायात थाना प्रभारी, राँची/सहायक थाना प्रभारी, यातायात, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।


पुलिस अधीक्षक यातायात,
राँची।